न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, बाढ (पटना)
उपस्थित:- विवेक भारद्वाज
निर्णय तिथी:- 26-05-2026
सत्रवाद संख्या - 1158/2012
सी आई एस नं0- 42/2012
प्राथमिकी संख्या – 155/2007, थाना – बख्तियारपुर

बनाम्
बिहार राज्य सरकार
सूचक – मुकेश कुमार, पिता – बृजनदंन सिंह
साकिन – बख्तियारपुर, थाना – बख्तियारपुर
जिला – पटना

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री जगत नरायण सिंह, अपर लोक अभियोजक, बाढ।
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	(अधिवक्ता)

प्राथमिकी की तिथी	19.06.2007
आरोप पत्र की तिथी	25.11.2007
आरोप गठन की तिथी	02.01.2015
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथी	15.11.2025
अभियोजन साक्ष्य बदं होने की तिथी	16.05.2026
धारा 313 दं प्र स की तिथी	16.05.2026
निर्णय सुरक्षित करने की तिथी	
निर्णय की तिथी	
दण्डादेश की तिथी, यदि हैं तो–	नहीं

26/5/26

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	**A-1**
अभियुक्त का नाम	अवधेश सिंह, पिता – स्व0 बालेश्वर सिंह साकिन – संगतपुर थाना – बख्तियारपुर, जिला – पटना
गिरफतारी की तिथी	
जमानत पर मुक्त होने की तिथी	
आरोप	436 भा द वि
दोष मुक्ति/दोष सिद्धि	दोष मुक्ति
दण्ड की मात्रा	
धारा 428 दं प्र सं के उद्देश्यों के लिए, विचारण के दौरान अभिरक्षा–अवधी	

अभियोजन/बचाव पक्ष एवं न्यायालय साक्षियों की सूची।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

कम संख्या	साक्षियों के नाम	साक्षियों की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सा साक्ष्य एवं अन्य गवाह
01	मुन्ना पासवान	अन्य गवाह
02	बृजनदंन सिंह	अन्य गवाह

प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

कम संख्या	साक्षियों के नाम	साक्षियों की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सा साक्ष्य एवं अन्य गवाह

न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

कम संख्या	साक्षियों के नाम	साक्षियों की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सा साक्ष्य एवं अन्य गवाह

26/5/26

अभियोजन एवं प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

वस्तु प्रस्तुत प्रदर्श

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

निर्णय

01. एक मात्र अभियुक्त अवधेश सिंह के विरूद्ध धारा 436 भा द वि के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध हेतू आरोप भारित हैं।

02. सूचक मुकेश कुमार के लिखीत आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक संक्षेप में यह हैं कि दिनांक 18.06.2007 को सूचक का अवधेश सिंह से बात विवाद हुआ था जो बाद में झगडा का रूप ले लिया। इस आशय का सनहा सूचक द्वारा बख्तियारपुर थाना में दर्ज कराया गया हैं। झगडा के कम में सूचक को आग लगा देने की चेतावनी दिया गया था और रात्री में करीब 01 बजे सूचक के मशरूम के झोपडी आग लगा दिया गया।

03. सूचक मुकेश कुमार के लिखीत आवेदन के आधार पर अभियुक्त अवधेश सिंह के विरुद्ध धारा 436 भा द वि के अंतर्गत बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 155/2007, दिनांक 19.06.2007 दर्ज किया गया। सम्यक अनुसंधान के उपरांत अनुसंधानकर्ता के द्वारा दिनांक 25.11.2007 को उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 436 भा द वि के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 267/2007, दिनांक 25.11.2007 समर्पित किया गया, जिसके आलोक में तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बाढ़ द्वारा आरोप पत्र की धाराओं के अर्न्तगत उक्त नामित अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त को पुलिस प्रपत्र दिया गया। चुंकि धारा 436 भा द वि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं अतः दिनांक 05.06.2012 को न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त का वाद दौरा सूपूर्द किया गया जो विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना से वाद विचारण हेतू इस न्यायालय में दिनांक 09.10.2023 को हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ।

26/5/26

04. सत्र न्यायालय में अभियुक्त की उपस्थिति पूर्ण होने पर अभियुक्त अवधेश सिंह के विरूद्ध दिनांक 02.01.2015 को धारा 436 भा द वि के अंतर्गत आरोप का गठन कर उसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया वह समझाया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

05. तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य लाने हेतु सारी प्रक्रियाएं की गई। अतः दिनांक 16.05.2026 को अभियोजन के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया तथा उसी तिथी 16.05.2026 को

नामित अभियुक्त अवधेश सिंह का धारा 313 दं. प्र. सं. के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया, जिसमें आवेदक अभियुक्त स्वयं को निर्दोष बताया है।

06. अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि ––

(क) क्या अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

(ख) यदि आरोप साबित हुआ है तो अभियुक्त को कितना दण्ड निर्धारित किया जायेगा।

मंतव्य

07. अभियोजन द्वारा इस घटना के समर्थन में कुल दो अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया जिसमें, अभियोजन साक्षी संख्या–1. मुन्ना पासवान एवं अभियोजन साक्षी संख्या –2 बृजनदंन सिंह, मौखिक साक्षी है।

08. बचाव पक्ष की ओर से भी कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य सफाई के क्रम में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

09. अभियोजन एंव बचाव पक्ष के विद्वतापूर्ण तर्को को सुना।

10. साक्षी संख्या–1 मुन्ना पासवान हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथनाक के संबंध में यह अभिकथन किया हैं कि घटना के बारे मे इन्हें कोई जानकारी नहीं हैं तथा पुलिस मे इनका बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन द्वारा इन्हें पक्षद्रोही घोषित कराकर इनका प्रतिपरीक्षण किया गया, इसमे साक्षी का कहना हैं कि ऐसी बात नही हैं कि पुलिस के बयान मे उसने कहा था कि अवधेश सिंह, मुकेश कुमार के झोपडी में आग लगा दिया जिससे उसका झोपडी जल गया। वहीं साक्षी द्वारा बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण मे कहना हैं कि न्यायालय मे ये आज स्वेच्छा से बिना किसी डर या भय के गवाही दिये हैं।

11. साक्षी संख्या–2 बृजनदंन सिंह, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथनाक के संबंध में यह अभिकथन किया हैं कि घटना के बारे मे इन्हें कोई जानकारी नहीं हैं तथा पुलिस मे इनका बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन द्वारा इन्हें पक्षद्रोही घोषित कराकर इनका प्रतिपरीक्षण किया गया, इसमे साक्षी का कहना हैं कि ऐसी बात नही हैं कि पुलिस के बयान मे उसने कहा था कि अवधेश सिंह, मुकेश कुमार के झोपडी में आग लगा दिया जिससे उसका झोपडी जल गया। वहीं साक्षी द्वारा बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण मे कहना हैं कि न्यायालय मे ये आज स्वेच्छा से बिना किसी डर या भय के गवाही दिये हैं।

निष्कर्ष

26/5/26

12. उभय पक्षों को सुनने और अभिलेख परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष प्रथम प्रश्न यह है कि क्या कथित तिथि, समय और स्थान पर कोई घटना घटित हुई थी। अभियोजन की ओर से दो अभियोजन साक्षीं का मौखिक साक्ष्य कराया गया हैं जिसमे साक्षी संख्या 01 जालो राय एवं साक्षी संख्या 02 बृजनदंन सिंह हैं। इन दोनो साक्षियों ने अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया हैं कि घटना के बारे मे

इन लोगो को कोई जानकारी नहीं हैं तथा पुलिस मे इनका बयान नहीं हुआ था। अभियोजन अभियोजन द्वारा इन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। वहीं प्रतिपरीक्षण मे इन दोनो साक्षियों का कहना हैं कि न्यायालय मे ये स्वेच्छा से बिना किसी डर या भय के गवाही दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनो साक्षियों ने घटना के संबंध में अन्य कोई उल्लेखणीय बात अपने साक्ष्य के संदर्भ मे नहीं कहा है जो घटना का समर्थन करता हो। इस प्रकार इन दोनो साक्षियों ने अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप का समर्थन नही किया है। इसके अलावा अन्य किसी भी साक्षी का साक्ष्य अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया हैं। अभियोजन द्वारा इस वाद मे न तो सूचक और न ही अनुसंधानकर्ता या अन्य किसी साक्षी का साक्ष्य कराया गया हैं और न ही इनके साक्ष्य नहीं कराये जाने का कोई कारण ही न्यायालय को बताया गया हैं। अभिलेखगत कराये गये साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया हैं तथा घटना के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर किया है। इनके अलावा अभिलेख पर अन्य किसी भी प्रकार का मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन की ओर से अभिलेखगत नही कराया गया हैं।

आदेश

13. उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन तथा विश्लेषण के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त अवधेश सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप अर्न्तगत धारा 436 भा द वि को साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः उक्त नामित अभियुक्त अवधेश सिंह को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप धारा 436 भा द वि के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त करते हुए रिहा किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को उनके बंधपत्र के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है।

14. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख की सारी प्रक्रियाऐं पूर्ण होने के उपरान्त अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में भेंजे।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में पारित किया गया।

Bhardwaj
26/5/26
(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
बाढ़, पटना
दिनांक– 26/05/2026

निर्णय आज खुले न्यायालय में टंकित एवं शुद्धित किया गया तथा मेरे द्वारा सुनाया गया।

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
बाढ़, पटना
दिनांक– 26/05/2026